

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

09

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/बेगुसराय।

सहायक श्रमायुक्त, छपरा/सहरसा ।

श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01

पटना, दिनांक:-

24-5-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड 26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत प्रमंडल स्तर पर "बाल श्रम उन्मूलन एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों" पर कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के आयोजन हेतु विषयशीर्ष-0103.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला,सेमिनार से निम्न कार्यालयों को निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विषयशीर्ष-0103.20.02-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से आवंटित राशि
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	50000
2	उप श्रमायुक्त, गया	50000
3	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	50000
4	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	50000
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	50000
6	उप श्रमायुक्त, मुंगेर प्रमंडल बेगुसराय	50000
7	सहायक श्रमायुक्त, सारण (छपरा)	50000
8	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल	50000
9	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	50000
	कुल योग	450000

कुल आवंटित राशि ₹ 4,50,000/- (₹ चार लाख पचास हजार) मात्र ।

- आयोजित किये जाने वाले कार्यशाला में पंचायत के मुखिया, प्रखंड के प्रमुख, जिले में कार्यरत ट्रेड युनियन के अध्यक्ष/सदस्य, एन०जी०ओ० के सदस्य, अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं विभाग के पदाधिकारी भाग लेंगे । कार्यशाला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त से करने का अनुरोध किया जाय ।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

24/05/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

09

पटना, दिनांक

24-5-17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/05/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

09

पटना, दिनांक

24-5-17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / बजट शाखा, प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

24/05/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

09

पटना, दिनांक

24-5-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/05/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।